पत्रांक : 26 / बी०एस०जी०–01 / 2014 / 488 / बजट

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

राजबाला वर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 18/12/2014

विषय : दिनांक 15 नवम्बर, 2000 के पूर्व एवं बाद के बकाये वेतन के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक–2264 / वि०, दिनांक 22 सितम्बर, 2004 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया था कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में "15 नवम्बर, 2000 के पूर्व की अवधि के बकाये वेतनादि" का भुगतान वेतन मद से किया जा सकता है।

2. ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से "83–15.11.2000 के बाद का बकाया वेतनादि" एवं "10–15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि" नाम की प्राथमिक इकाई के सृजन के कारण माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में भी बकाया वेतन के भुगतान पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तथा विहित इकाई में राशि का प्रावधान नहीं रहने या पर्याप्त उपबंध नहीं रहने के कारण बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। फलतः माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में बकाये भुगतान में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जिससे अनेक अवमाननावाद के मामले भी न्यायालय में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

3. उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए है :–

(i) माननीय न्यायालय के आदेश से आच्छादित मामलों में यदि पूर्व से "15 नवम्बर, 2000 के बाद का बकाया वेतनादि के भुगतान" इकाई में राशि का

प्रावधान नहीं है या पर्याप्त उपबंध नहीं है, तो इसका भुगतान आवश्यकतानुसार वेतन मद से किया जा सकेगा।

(ii) इसी प्रकार माननीय न्यायालय के आदेश से आच्छादित मामलों में यदि "15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि" इकाई में राशि का उपबंध नहीं है या पर्याप्त उपबंध नहीं है, तो वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2264/वि० दिनांक 22 सितम्बर, 2004 के अनुसार वेतन इकाई में उपबंधित राशि से भुगतान पूर्ववत् किया जा सकेगा।

4. इस संबंध में पूर्व में निर्गत परिपत्रों को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(राजबाला वर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

13.12.04